आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

<u>वाद सं0–25 / 2023</u>

10-07-2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से महेश्वर उरांव, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार Telephonic Conference माध्यम से उपस्थित । द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने कुल–33 लोगों के हस्ताक्षर से शिकायत दर्ज की थी। उनमें से किन्हीं को भी ~~को~~ दिसम्बर माह का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि अक्टूबर एवं नवम्बर माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि दिसम्बर माह का 1 कि0ग्रा0 गेहूँ सबको उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि 4 कि0ग्रा0 चावल इसलिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका है क्यूँकि PMGKAY का राशन उन्हें आवंटित ही नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें और सभी शिकायकर्ताओं को दिसम्बर माह का गेहूँ भी उपलबध नहीं कराया गया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि सभी 33 शिकायकर्ताओं को दिसम्बर माह का गेहूँ उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण आयोग को उपलब्ध करायें और यदि प्रमाण नहीं है तो 1 कि0ग्रा0 गेहूँ उपलब्ध करायें। साथ ही दिसम्बर माह का 4 कि0ग्रा0 चावल भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सुनवाई के दौरान आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से बताया कि आयोग ऐसे तत्वों को स्वीकार नहीं कर सकता की उन्हें विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया ही नहीं गया। आयोग प्रशासनिक कमी या लापरवाही का खामियाजा शिकायकर्ता को भुगतने नहीं दे सकता। आयोग की जिम्मेवारी है कि वो सभी लाभुकों को उनका हक और अधिकार दिलाये। इस क्रम में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे दिसम्बर माह का राशन पात्रता के अनुसार सभी शिकायकर्ताओं को उपलब्ध कराये और इस आशय का प्रमाण आयोग को भेजें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–20.07.2023 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई के दौरान लाभुक / शिकायतकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को सशरीर आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–20.07.2023 को रखें।

13.7.23
(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\Court.docx35